राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1896, 1897 व 1898/15..... जिला : जयपुर

मैसर्स एसीई इण्डिया सर्जिकल्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंवचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

20.11.2015

अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगन आदेश दिनांक 28.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिए पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.11.2014 में निम्न तालिका के अनुसार विवादित राशियों पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्थगन स्वीकार/अस्वीकार किया गया है । अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशियों को आंशिक स्वीकार करने पर शेष बची राशियों तथा स्थगन हेतु अस्वीकार की गई राशियों पर चुनौती देते हुए अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशियों को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है :–

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	स्थगित राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1896/15	2,17,899/–	–	2,17,899/–
1897/15	19,19,082/–	8,48,872/–	10,70,610/–
1898/15	1,79,474/–	81,792/–	97,682/–

स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निस्तारण करते समय उचन्त बिक्री के निर्धारण हेतु कोई जांच नहीं की गई है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपील आदेश में उदाहरण स्वरूप अंकित संव्यवहारों की राशि कम करते हुए शेष राशियों को उचन्ति मानते हुए कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया है। उनका यह भी कथन है कि यदि विक्रेता खरीद राशि पर नियमानुसार चुकाये गये कर को राजकोष में जमा नही कराता है या अपने वैट– 08 में इस विक्रय को घोषित नहीं किया गया है, तो मात्र इसी आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी को आईटीसी के लाभ से वंचित किया जाना उचित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष होने से स्थगन आवेदन पत्र स्वीकार करने

का निवेदन करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार आवेदित राशियों को स्थगित करने का कथन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों पर मनन के पश्चात रिवर्स की गई आई टी सी पर आरोपित ब्याज राशि पर स्थगन प्रदान नहीं किया जाता है। अतः आवेदित स्थगन हेतु राशियों में से आई टी सी पर आरोपित ब्याज राशियों को कम करते हुए अपील संख्या 1896/15 में स्थगित आवेदित राशि के स्थगन को अस्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 1897/15 में रू. 8,30,995/– एवं अपील संख्या 1898/15 में रू. 86,457/– की वसूली को कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य